HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt. C/4988./ Jabalpur, Dt.05../12/2017
IV-8-7/37

The Copy of Letter No.: **D.T.A./Cyber Try./17/438** Bhopal **Dated 25/11/2017 OF Directorate of Treasuries & Accounts Madhya Pradesh,Bhopal and referenced letter of Finance Department Govt.of M.P.,Vallabh Bhawan Mantralaya,Bhopal** therein of is forwarded to :-

- P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordships;
- The P.S. to Hon'ble Shri Justice Justice..............................High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur , Bench at Indore/Gwalior for placing the matter before his Lordships ;
- P.S. to Registrar General High Court of M.P.,Jabalpur.
- P.S. to Registrar Administration/ Principal Registrar (Judl.) / Principal Registrar (I & V)/ Principal Registrar (Examination & I.L.R.) High Court of M.P.,Jabalpur ;
- The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior, High Court of M.P.;
- The Registrar (J)/ (D.E.) /(Adm) /(Vig.) /(VL)/ (A.W.) (E) /OSD(D.E.)/I.T.High Court of M.P.,Jabalpur ;
- The District & Sessions Judge .... to circulate the same amongst the Judicial Officers working under their kind control ;
- The District & Sessions Judge (VL), Jabalpur/Indore/Gwalior;
- P.S. to Director/Additional Director, M.P.,State Judicial Academy High Court of M.P.,Jabalpur;
- P.S. to A.O./B.O./Joint Registrar (Protocol)/Deputy Registrar (J-I)/J-II/High Court of M.P.,Jabalpur;
- S.O.(Checker)/Confidential/W.S./ILR/Budget/D.E./Accounts/Copying/Pension/Complaint/PayFixation(Gazette)/ Leave(Gazette) / Establistment , High Court of M.P., Jabalpur;
- Computer Operator Confidential Section High Court of M.P.,Jabalpur;
- Server Room(Computer) for uploading the same in NIC.

for information and appropriate action.

01/12/17

(CHANDRESH KHARE)
REGISTAR (ADMINISTRATION)

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश,
पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड(अ) भोपाल

क्रमांक/डी.टी.ए./Cyber try./17/438 भोपाल, दिनांक 25/11/2017

प्रति,

समस्त जिला कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय :– सायबर चालान जमा एवं रिफण्ड करने से संबंधित समस्या के निवारण हेतु।
संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र क्रं एफ–11–7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 02.09.16

——0——

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संदर्भित आदेश उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा लोक लेखा से संबंधित राशियाँ यथा, सिविल कोर्ट डिपाजिट, पर्सनल डिपाजिट, वर्क्स डिपाजिट, के डिपाजिट आदि जमा करने पर लागू नहीं है। परन्तु प्रायः देखने में आ रहा है कि बैंक एवं कोषालय द्वारा कोर्ट से संबंधित भौतिक चालान को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की जा रही है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित राशियाँ चालान से जमा की जाए।

तत्संबध में कोषालय अधिकारी अपने स्तर से उच्च न्यायालय एवं अधिनस्थ न्यायालय से संबंधित चालान स्वीकृती हेतु संबंधित बैंकों को निर्देशित करें।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

पृ0 क्रमांक/डी.टी.ए./Cyber try./17 भोपाल, दिनांक /11/2017

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी विभाग।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर आपके ज्ञापन क्रामंक E/792 दिनांक 07.11.2017 के अनुक्रम में सूचानार्थ प्रेषित।
3. A.G.M. (Govt.Busi.) Zonal office, SBI Bhopal की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त शाखाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश,
पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड(अ) भोपाल

क्रमांक/डी.टी.ए./Cyber try./17 भोपाल, दिनांक /11/2017

प्रति,

समस्त जिला कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :— सायबर चालान जमा एवं रिफण्ड करने से संबंधित समस्या के निवारण हेतु।
संदर्भ :— वित्त विभाग का परिपत्र क्रं एफ—11—7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 02.09.16

——0——

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संदर्भित आदेश उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा लोक लेखा से संबंधित राशियॉ यथा, सिविल कोर्ट डिपाजिट, पर्सनल डिपाजिट, वर्क्स डिपाजिट, के डिपाजिट आदि जमा करने पर लागू नहीं है। परन्तु प्रायः देखने में आ रहा है कि बैंक एवं कोषालय द्वारा कोर्ट से संबंधित भौतिक चालान को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित राशियॉ चालान से जमा की जाए।

तत्संबध में कोषालय अधिकारी अपने स्तर से उच्च न्यायालय एवं अधिनस्थ न्यायालय से संबंधित चालान स्वीकृती हेतु संबंधित बैंकों को निर्देशित करें।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

पृ0 क्रमांक/डी.टी.ए./Cyber try./17/439 भोपाल, दिनांक 25/11/2017

प्रतिलिपि :—

1. अतिरिक्त सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी विभाग।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर आपके ज्ञापन क्रमांक E/792 दिनांक 07.11.2017 के अनुक्रम में सूचानार्थ प्रेषित।
3. A.G.M. (Govt.Busi.) Zonal office, SBI Bhopal की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त शाखाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

4-

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /F-11-7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 02/09/2016

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश.

विषय :- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया।

संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक /F-11-7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2016।

संदर्भित परिपत्र से सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने / रिफण्ड करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं तद्नुसार 01 सितम्बर 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक की राशियां भौतिक चालान से जमा किये जाने की प्रक्रिया समाप्त की गई है।

2/ उपर्युक्त संबंध में विभिन्न विभागों के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कतिपय स्वरूप के प्रकरणों में इन्टरनेट बैंकिंग से राशियां जमा करने की प्रक्रिया से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने, साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन / परिवर्तन / परिवर्धन / निर्माण तथा इस हेतु लेखांकन की प्रक्रिया आदि विकसित करने में कुछ समय लगना संभावित है।

3/ अतः उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुये संदर्भित परिपत्र की प्रयुक्तता दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक के लिये स्थगित की जाती है। अनुरोध है कि उपर्युक्त समयावधि दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक आवश्यक व्यवस्थाएं, प्रणाली, प्रक्रिया आदि विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। वित्त विभाग का पत्र क्रमांक /F-11-7/नियम/2016 दिनांक 01/09/2016 से वाणिज्यिक कर विभाग के लिये दिनांक 31/12/2016 तक की दी गई शिथिलता यथावत रहेगी।

4/ यह स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भित आदेश उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा लोक लेखा से संबंधित राशियां यथा; सिविल कोर्ट डिपाजिट, पर्सनल डिपाजिट, वर्क्स डिपाजिट, के डिपाजिट आदि जमा करने पर लागू नहीं है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /F-11-7/नियम/2016 भोपाल दिनांक 02/09/2016

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम / द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म. प्र. भोपाल
4. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, म. प्र. भोपाल,
5. उप महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, म. प्र. भोपाल,
6. उप महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, म. प्र. भोपाल,
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश,
8. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग